

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 90A/JDA/2025-26/100562

दिनांक: 13/03/2026

लोक सूचना

श्री VRB DREAM HOMES PRIVATE LIMITED THROUGH AUTHORIZED SIGNATORY ABHISHEK KALA पुत्र श्री SURESH CHAND JAIN जाति JAIN निवासी 113/249, AGRAWAL FARM, THADI MARKET, MANSAROVAR, JAIPUR, RAJASTHAN-302020

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	नरवरिया, साँगानेर (जयपुर)	1.) वीआरबी ड्रीम होम्स प्राइवेट लिमिटेड पुत्र एन ए हिस्सा पूर्ण जाति जाति का उल्लेख नहीं मकान संख्या GROUND FLOOR P.NO.04 कॉलोनी नारायण एन्क्लेव क्षेत्र / स्थान मांग्यावास मानसरोवर शहर जयपुर पिन कोड 302020 जिला JAIPUR राज्य RAJASTHAN खातेदार	701	0.47	0.47
2.	नरवरिया, साँगानेर (जयपुर)	1.) वीआरबी ड्रीम होम्स प्राइवेट लिमिटेड पुत्र एन ए हिस्सा पूर्ण जाति जाति का उल्लेख नहीं मकान संख्या GROUND FLOOR P.NO.04 कॉलोनी नारायण एन्क्लेव क्षेत्र / स्थान मांग्यावास मानसरोवर शहर जयपुर पिन कोड	713	0.7	0.7

		302020 जिला JAIPUR राज्य RAJASTHAN खातेदार			
3.	नरवरिया, साँगानेर (जयपुर)	1.) वीआरबी ड्रीम होम्स प्राइवेट लिमिटेड पुत्र एन ए हिस्सा पूर्ण जाति जाति का उल्लेख नहीं मकान संख्या GROUND FLOOR P.NO.04 कॉलोनी नारायण एन्क्लेव क्षेत्र/ स्थान मांग्यावास मानसरोवर शहर जयपुर पिन कोड 302020 जिला JAIPUR राज्य RAJASTHAN खातेदार	888/704	0.752	0.752
<b>कुल</b>					<b>1.922</b>

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी **SSO ID** से लॉग इन कर **JDA** के **90-A** मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (<https://jda.rajasthan.gov.in/>) पर "**विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें**।" Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **13-03-2026** को जारी की गयी।

Newspaper name (as per roster)  
RAJASTHAN PATRIKA & RASHTRADOOT

प्राधिकृत अधिकारी जोन-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

